

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 93/2018

RCMS Case No. 2018/00117

प्रार्थी :-  
सरकार जरिये तहसीलदार रानी

बनाम

अप्रार्थी:-

1. केसाराम पुत्र खरताराम
2. पकाराम पुत्र खरताराम जातिगण घांची निवासीगण बूसी तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

-:: आदेश ::-

दिनांक 12/6/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बूसी तहसील रानी के खसरा नम्बर 265/16 रकबा 0.05 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी के पिता खरताराम को नियमन होने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 293 के राजस्व रेकॉर्ड में इनका नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम बूसी के नामान्तरकरण संख्या 293 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बूसी तहसील रानी के खसरा नम्बर 265/16 रकबा 0.05 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 265 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि तहसीलदार द्वारा नियमन करने से नामान्तरकरण संख्या 293 के जरिये अप्रार्थी के पिता खरताराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 265 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान

११०० चिठा कलेक्टर, पाली

बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आवंटन नियमों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै0मु0 नदी दर्ज की जानी हैं। अतः तहसीलदार पाली द्वारा अप्रार्थी के पिता खरताराम पक्ष में किया गया नियमन तथा उक्त नियमन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार पाली द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 15.05.1970 एवं उसकी पालना में दायर ग्राम बूसी तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 293 को निरस्त करावे।



  
(भागीरथ बिश्नोई)  
अति.जिला कलेक्टर, पाली